संख्या-12/680/41-2014-43 यो0/11

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक:: 24 मार्च, 2014

विषय: केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद सन्तकबीरनगर में स्थित शिव मन्दिर कोपिया के पर्यटन विकास की योजना हेतु द्वितीय किश्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-3423/6-1-1 (375)/2014, दिनांक-04.03.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(2). शासनादेश सं0-193/41-2013-43 यो0/11, दिनांक-31.03.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद सन्तकबीरनगर में स्थित शिव मन्दिर कोपिया के पर्यटन विकास की योजना के लिये कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम के आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-212.96 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार से अवमुक्त की गयी धनराशि रू0-146.97 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0-58.74 लाख की धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी थी। इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय किश्त के रूप में मात्र रू0-58.74 लाख (रूपये अट्ठावन लाख चौहत्तर हजार) मात्र धनराशि की वित्तीय स्वीकृति की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

1- भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र सं0-5 पीएनसी (2)/2012, दिनांक-29.10.2012 के द्वारा उक्त योजना अनुमोदित की है। उक्त स्वीकृति पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

4- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यो हेतु किसी अन्य स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

7- योजना का अनुश्रवण शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28.03.2013 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-12/680/(1)/41-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. सचिव, पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मण्डलायुक्त, बस्ती/जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर।
4. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री/निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, पर्यटन।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, बस्ती।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
9. उप निदेशक, पर्यटन कार्यालय, गोरखपुर।
10. श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in